अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रजान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बंध में एक वक्तव्य दें ;

'समाचार पत्रों में छपे इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक लाइसेंस देने की सरकार की नीति सम्बंधी वर्तमान प्रक्रिया के बारे में संघ सरकार के दो सम्बंधित मंत्रियों में मतभेद है, ऐसे लाइसेंसों के दिये जाने सम्बंधी सरकार की नीति'

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, सरकार की बुनियादी औद्योगिक लाइसेंसिग नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। समाचार पत्रों में मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों के बीच जो पत्रव्यवहार हुआ है, उस की गलत खबरें छपी हैं मुझे खेद है कि गोपनीय पत्रों को इस तरह प्रकाशित कर दिया गया है, जिस से कि गलत धारणा बनती है। पत्र व्यवहार देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के बारे में था और विकास की मन्द गति पर असंतोष प्रकट किया गया था। तथापि यह सत्य नहीं हैं कि औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया के बारे में कोई मतभद है ।

सरकार की औद्योगिक नीति सम्बंधी संकल्प मैंने ३० अप्रैल, १९५६ को पटल पर रखा था। उद्योगों के लिए लाइसेंस इस नीति के अनुसार दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं का पालन किया जाता है। सदन को ज्ञात है, औद्योगिक लाइसेंस इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लाइसेंसिगसमिति की सिफारिशों पर जारी किये जाते हैं। इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों के और योजना आयोग के प्रतिनिधि होते हैं उसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं ।

समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों पर विचार किये जाने से पूर्व, इन की जांच प्रविधिक विकास विभाग, विभिन्न सम्बंधित मंत्रालयों, जैसा कि खान और ईंधन, इस्पात और भारी उद्योग रेलवे, वित्त मंत्रालय, कम्पनी विधि प्रशासन विभाग, योजना आयोग और राज्य सरकारों की सलाह से जांच की जाती है। अपनी सिफ़ारिशें करते हुए, समिति योजना आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखती हैं और इन बातों को पूरा महत्व देती है, जैसा कि प्रादेशिक वितरण, निर्यात की संमान्यता, एकाधिकार या क्षमता के केन्द्रीयकरण का रोका जाना, और यह भी देखा जाता है कि इससे विदेशी मुद्रा बचेगी या नहीं जहां पर उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही सीमित नहीं है और जहां अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विदेशी सहयोग से प्राप्त सुविधाओं की और विदेशी निजी या अर्ध-सरकारी ऋण-दाता अभिकरणों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की और अनुभवी प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, तो वहां यह स्वाभाविक ही है यदि योजना के लक्ष्यो को शीघ्रता से प्राप्त करना है, तो बड़े उद्योगों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर हमें विचार करना होगा अन्यथा नीति यह हैं कि यह संभव हो, नये उपक्रमों को आधिमान्यता दी जाये ।

उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद की एक उपसमिति है, जो कि औद्योगिक उपक्रम के लाइसेंसिग नियमों के नियम १८ के अन्तर्गत काम करती है यह उपसमिति अपने आप या प्रार्थियों द्वारा अभ्याबेदन प्राप्त होने पर सब लाइसेंसों का जो कि जारी किये गये हैं या बदले गये हैं पुनर्विलोकन

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करती है और यह सरकार को सामान्य सिद्धांतों के बारे में परामर्श दे सकती है। इस उप-समिति में संसद के कुछ सदस्य भी हैं। अतः सरकार की लाइसेंसिंग नीति की जांच का एक गैर-सरकारी अभिकरण भी है।

११ अप्रैल, १९६३ को एक विवरण पटल पर रखा गया था, जिस में १९६०-६१ के पत्र वर्ष में जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा दिया गया था। मैंने १९६२ के आंकड़े भी इकट्ठे किये हैं इन तीन वर्षों में ४२११ औद्योगिक लाइसेंसों में, बड़े उद्योगपतियों को १८२ लाइसेंस दिये गये थे। इन में न केवल नये उपक्रम सम्मिलित हैं, बल्कि वर्तमान उपक्रमों के विस्तार की परियोजनायें भी हैं।

औद्योगिक नीति पर विचार करते हुए हमें अपने को उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिये, जिस पर उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम लागू होता है। इनके अतिरिक्त छोटे पैमाने के उद्योगों का बड़ा क्षेत्र भी है, जिन का काफी आर्थिक महत्व है इन की संख्या इस समय ५२,००० है, जो कि पंजीकृत है। इनके अतिरिक्त जो पंजीकृत नहीं हैं, उन की संख्या भी बहुत है। सरकार की नीति यह है कि इस क्षेत्र को भी अधिक से अधिक सहायता दी जाये, यद्यपि उसे भी बड़े पैमाने के उद्योगों की तरह विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामाना होता है।

सरकार की औद्योगिक नीति स्पष्ट है और इस को क्रियान्वित करने की व्यवस्था पर्याप्त हैं। जैसा कि सदन को ज्ञात है, हमने प्रो० महालानोबिस की अध्यक्षता में धन और उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। जब इस का प्रत्यावेदन प्राप्त हो जायेगा, तो इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा कि क्या औद्योगिक लाइसेंसिंग सम्बंधी प्रक्रिया या नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चूंकि एक मंत्रालय में काम करने वाले मंत्रियों में मतभेद है, क्या प्रधान मंत्री उन लाइसेंसों के मामले में जो १९५७ से जारी किये गये हैं, जांच करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन की जानकारी किस पर आधारित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समाचार पत्रों पर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समाचार पत्रों की खबरें ठीक नहीं होती, इस लिए उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता। मैं इसे भी बहुत अनुचित समझता हूं कि दो मंत्रियों के बीच गोपनीय पत्र प्रकाशित किये जायें। यह दुर्भाग्य की बात है कि दो मंत्रियों के बीच मतभद हो, किन्तु यह अच्छी बात है कि गलतियां मालूम हो जाती हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरिया का एक संघ राज्य बनाने के हेतु प्रस्तावित विलय और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बंध में एक वक्तव्य दें :

'संयुक्त अरब गणराज्य, इराक और सीरिया का एक संघ राज्य में प्रस्तावित विलय और उसके सम्बंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया'

---

†मूल अंग्रेजी में